एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

२०२०-२१

खनन गहरा

लक्ष्य ऊंचा

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

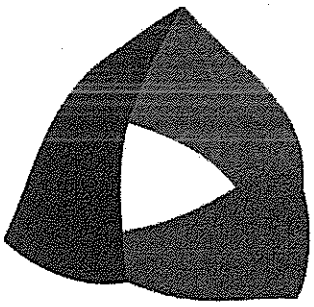

एमएनएच

13 वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2020-21

पंजीकृत कार्यालय : आनंद विहार, डाकघर – जागृति विहार,

संबलपुर, ओड़िशा, 768020

विषय –सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठा संख्या
1.	कंपनी की जानकारी	1
2.	सूचना	2-3
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	4-12
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	13-24
5.	भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणियां	25
6.	सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	26-29
7.	वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण	30-97

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल :

श्री बी. सिंह (DIN: 08745789)	अध्यक्ष (01.06.2020 से प्रभावी)
श्री एस. एम. झा (DIN: 08522125)	निदेशक (27.06.2019 से प्रभावी)
श्री आर. विक्रमन (DIN - 07601778)	निदेशक (09.08.2018 से प्रभावी)
श्री ए. के. सिंह (DIN - 07601778)	निदेशक (10.01.2020 से प्रभावी)
श्री अनिल मलिक (DIN - 00170411)	निदेशक (20.12.2019 से प्रभावी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:
श्री एस. एम. झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी:
श्री ए. के. बेहुरा

कंपनी सचिव:
श्री सुमंत कुमार बेहेरा

सांविधिक लेखा परीक्षक:
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार,
टिटलागढ़, उड़ीसा।
सचिवीय लेखा परीक्षक:
मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स,
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
बिल्डिंग नंबर एफ/3, सहयोग नगर,
बुढ़ाराजा, संबलपुर, ओडिशा-768004

बैंकर्स:
भारतीय स्टेट बैंक,
एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा,
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020

यूको बैंक
जागृति विहार शाखा,
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020.

एक्सिस बैंक लिमिटेड
आरआर मॉल, अशोका टॉकिस रोड,
वी.एस.एस. मार्ग, संबलपुर - 768001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
कोलकाता बाजार के बाजू में,
गोल बाजार, संबलपुर – 768001

एचडीएफसी बैंक,
टंकपानी रोड, भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय:
आनंद विहार,
पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा -768020

25.06.2021

सूचना

13 वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित व्यवसाय के संचालन हेतु मंगलवार, 6 जुलाई, 2021 को शाम 4.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, आनंद विहार, पोस्ट-जागृति विहार, संबलपुर, ओडिशा, 768020 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च 2021 के परीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वैधानिक लेखापरीक्षक तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु तथा सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना है।

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमएनएच शक्ति लिमिटेड

ह/-
(एस. के. बेहेरा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
आनंद विहार, पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला , संबलपुर – 768020.

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य को खुद के बजाय भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

सदस्यगण :

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020. (ध्यानार्थ : कंपनी सचिव, एमसीएल)
2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन लिमिटेड), नेवेली हॉउस नं. 13 जे, पेरियार ईवीआर हाई रोड, किल्पौक, चैन्नई - 600010 (ध्यानार्थ : कंपनी सचिव, एनएलसी)
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रिस लिमिटेड, सैंचुरी भवन, तृतीय तल, डॉ एनी बेसेंट रोड, वोरली, मुंबई -400025 (ध्यानार्थ : कंपनी सचिव, हिंडाल्को इंडस्ट्रिस लिमिटेड.)

लेखा परीक्षगण :

1. मेसर्स बिनोद कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर एकाउंटेंट, टिटलागढ़, ओडिशा
2. लेखा परीक्षक महानिदेशक (कोल) - ओल्ड निजाम पेलेस, 234/4 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020
3. मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रेशेवर कंपनी सचिव, बिल्डिंग नं एफ/3, सहयोग नगर, बुढ़ाराजा, संबलपुर, ओडिशा -768004.

<u>निदेशकगण</u> :

1. समस्त निदेशकगण, एमएनएच शक्ति लिमिटेड बोर्ड

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारक गण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड
यप्रिसदस्यगण,

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 13 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं आपकी कंपनी की 13 वीं वार्षिक रिपोर्ट20 ,20-21 के लेखापरीक्षित लेख के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और भारत के लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 6.5 मी.टन. क्षमतावाली तलाबीरा-III खान की परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार ने जून, 2002 में अनुमोदित किया था। किन्तु, योजना आयोग ने परियोजना रिपोर्ट को उच्चक क्षमता के साथ संशोधित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, 6.5 मी.टन की परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2004 में वापस ले ली गई। तत्पश्चात, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रभाग आदित्य एल्यूमिनियम एवं नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उनकी कैप्टिव खपत हेतु तलाबीरा-II खान के आबंटन के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने तलाबीरा-II व तलाबीरा-III की खानें संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्री ज लिमिटेड को आबंटित करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने ये खानें संयुक्त रूप से एमसीएल, एनएलसी और एचआईएल को 10 नवंबर, 2005 को आबंटित की। केन्द्र सरकार ने कोयले संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम नियोजन सुनिश्चित करने के लिए तलाबीरा II और तलाबीरा-III कोयला ब्लॉककों को 20 मी.टन क्षमता और 23 मी.टन. की अधिकतम क्षमता सहित तलाबीरा ओसीपी नामक खान बनाकर, एक तरफ एमसीएल और दूसरी तरफ एनएलसी व एचआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया। संयुक्त उद्यमी कंपनी में एमसीएल की इक्विटी 70% होगी जबकि शेष 30% इक्विटी मेसर्स नेयवली लिग्नाईट कार्पोरेशन एवं मेसर्स हिंडाल्को की अर्थात प्रत्येक की 15% होगी। तदनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी, 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत की गई। तालाबीरा ओसीपी (20MTY) की परियोजना रिपोर्ट को कोल और ओवरबर्डन आउटसोर्सिंग दोनों प्रकार के प्रारंभिक पूंजी परिव्यय के लिए दिनांक 29.03.2008 को 447.72 करोड़ के पूंजी लागत के साथ एमसीएल बोर्ड (एक मिनीरत्न कंपनी) द्वारा अपने 94 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है। और उसी को एमएनएच शक्ति बोर्ड द्वारा 15 जुलाई, 2010 को आयोजित अपनी 7 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

परियोजना में 994.5 हेक्टेयर कोयला धारित क्षेत्र हैं जो एफ़-1 एफ़-1 पश्चिम गैर कोयला क्षेत्र से सीमाबद्ध है। पूर्वी सीमा को भू-गर्भीय ब्लॉयक सीमा/गैर-कोयला क्षेत्र से चिह्नित किया गया है। उत्त री

सीमा को ईब नदी से परिभाषित किया गया है और दक्षिण में तलाबीरा-I खान की साझी सीमा है, जिसका संचालन हिंडाल्को कर रहा है।

इस ब्लॉकक का खनन योग्या भंडार 553.98 मी.टन. (ईब सीम व रामपुर सीम में) है। खान स्ट्रीपिंग 1:1.09 के अनुपात में कार्य करेगी। अधिकांश कोयला जी-11 एवं जी-17 श्रेणी के हैं जो थर्मल पावर के लिए उपयुक्तम है। 20 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खान की आयु 34 वर्ष है।

वर्तमान स्थिति

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2014 को भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए गए कोयला ब्लॉक के आवंटन पर निर्णय दिया है, क्योंकि सरकारी वितरण मार्ग द्वारा किए गए आवंटन मनमाने और अवैध हैं। निजी पार्टियों या सरकारी कंपनी जिनका निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम है, को आवंटित कोल ब्लॉक को 1993 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर तलाबीरा -II एवं III के कोयला ब्लॉक को भी दिनांक-24.09.2014 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

कोयला खनन)विशेष प्रावधान (अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र संख्या-103/1/2016/एनए, दिनांक-17.02.2016 के तहत नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड को तालबीरा II एवं III के कोयला खान के आवंटन से संबन्धित निर्णय का सम्प्रेषण किया गया और पूर्व आवंटी से देय मुआवजा राशि के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत जानकारी मांगी गई एवं दिनांक 29 फरवरी,को पूर्व आवंटी 2016 अर्थात एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा ई-मेल के माध्यम से उसे प्रेषित किया गया।

कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, प्रगतिशील कार्यों में लगी पूंजी और अमूर्त परिसंपत्ति में खर्च किये गए राशि के लिए नए आवंटी से मुआवजा प्राप्त करने का हक रखती है। कोयला खान)विशेष प्रावधान (अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटी के पत्रांक-110/13/2015/एनए, दिनांक-12.09.2016 के अनुसार भौगौलिक रिपोर्ट की लागत एवं मुआवजा हेतु राशि भुगतान आयुक्त, कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें तलाबीरा II एवं III कोयला खान की मुआवजा राशि रु. 15,88,94,332 शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक 04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि हस्तांतरित की।

पुन: नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटी के दिनांक-01.12.2016 के पत्रांक 110/9/2015/एनए(भाग-II) के तहत आधारभूत संरचना की लागत हेतु मुआवजा राशि भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें सिर्फ तलाबीरा II एवं III के कोयला खान की मुआवजा राशि-2,66,56,000 रुपये (2 करोड़ 66 लाख 56 हजार रुपये) शामिल है। तदोपरांत कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से मुआवजा राशि हस्तांतरित की।

कंपनी गैर सरकारी वन भूमि के लिए राज्य सरकार से रु. 26.58 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि पाने की हकदार है। अभी तक कंपनी को नामित प्राधिकारी से राशि नहीं मिली है। इस राशि को तय समय में पूर्व आवंटियों को वितरित किया जाएगा।

दिनांक 15 नवंबर, 2017 को संबलपुर में आयोजित एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 42 वीं बोर्ड बैठक में प्रत्येक रु. 10/- (रुपए केवल दस) के 5,00,00,000 (पाँच करोड़) पूर्ण रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को रद्द करने के माध्यम से एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी को 85.10 करोड़ से घटाकर 35.10 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। (रुपए केवल दस) ("इक्विटी शेयर") (कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 58.75% का प्रतिनिधित्व) जिसे सामान्य बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, विशेष संकल्प और संयुक्त उद्यम भागीदारों की सहमति से कुल सिर्फ रु. 50,0000,000 (पचास करोड़) में समेकित किया जाएगा।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के साथ याचिकाओं की आवश्यक फाइलिंग दिनांक 16.09.2019 को की गई थी। एनसीएलटी में पहली सुनवाई 06.11.2019 को हुई थी। एनसीएलटी निम्नलिखित रूप में दिशानिर्देश जारी करती है: -

क) आरएससी -2 के रूप में केंद्र सरकार और कंपनियों के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया जाएगा। (08.11.2019 को अनुपालित।)

ख) फॉर्म आरएससी - 4 में 7 दिनों के भीतर सूचना का अंग्रेजी और एक वर्नाक्यूलर न्यूज पेपर में प्रकाशन - (दिनांक 12.11.2019 को अनुपालित, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित और नाम ओडिया समाचार पत्र में दिया जाना चाहिए)।

एनसीएलटी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के बाद, उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग अनुपात के अनुसार रु. 50 करोड़ की राशि संयुक्त उद्यम के पार्टनर के बीच वितरित की जाएंगी। एमसीएल को रु. 35 करोड़ की राशि प्राप्त होगी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च:

उपरोक्त मामलों पर कोई जानकारी देना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि कंपनी का निगमन 2008-09 में हुआ है और इस प्रकार की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

जोखिम प्रबंधन

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते है, भूअधिग्रहण-, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है।

संबंधित पार्टी लेनदेन-

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन लेन-देन की आर्म्स लेंथ आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण रूप से पार्टी संबंधित लेन-देन नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

ऋण गारंटी और निवेशों की विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और (11) तथा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत् वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त कर उसका खुलासा किया गया है।

निगरानी तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड एसतर्कता .जी., सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले है।

नामांकन समिति

कंपनी ने नामांकन समिति का गठन अभी तक नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी ने वर्ष के दौरान विकास के तहत सी .आर.एस.गतिविधियों की दिशा में कोई व्यय नहीं किया है।

पूंजीगत संरचनाः –

कंपनी का दिनांक 31.03.2020 को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सीक्राइब्ड1 इक्विटी पूंजी रु. 8510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्व रूप प्रदान की है, जिसका विवरण निम्नवलिखित हैं :-

(रु. लाख में)

शेयरधारकों के नाम	राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	5957.00
नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड	1276.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1276.50

वित्तीय समीक्षा

कंपनी की तलाबीरा-II एवं III खानें विकासाधीन हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इस अवधि में हुए सभी खर्च को पूंजीकृत किया गया है, अतः आलोच्य अवधि का लाभ-हानि लेखा वर्ष 2019 - 20 वित्तीय वर्ष के अंत में शून्यर दर्शाता है। लेखा के मुख्य वित्तीपय आंकड़े निम्नावनुसार हैं-

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलनपत्र मद

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10000.00	10000.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	8510.00	8510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1.22	1.22
4	नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)	6262.19	6125.02
5	चालू परिसंपत्ति (नगद तथा नगद के समकक्ष को छोड़कर)	2900.39	2875.82
6	चालू देयताएँ	94.67	61.32

<u>लाभ एवं हानि के विवरण का सार</u>

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1	अन्य आय	210.94	315.78
2	अन्य व्यय	39.58	29.37
3	मूल्यह्रास	0.15	0.32
4	कर पूर्व लाभ	171.36	286.09
5.	कर व्यय	43.13	144.87
6	कर पश्चात लाभ	128.23	141.22
7	ईपीएस (रु.)	0.15	0.17

लेखापरीक्षक :

कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2020-21 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया-

मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकर ,
टिटलागढ़, ओड़िशा

कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा-204 के अंतर्गत निम्न लिखित फर्म को वर्ष 2020-21 के सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट,
अभ्यासी (प्रेक्टिसिंग) कंपनी सचिव
बिल्डिंग नं. एफ़/3, सहयोग नगर
बुढाराजा, सम्बलपुर, ओड़िशा-768004.

निदेशक मंडल
निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थे :

श्री ओ. पी. सिंह (डीआईएन - 07627471)	अध्यक्ष (30.09.2016 से प्रभावी)
श्री बी. सिंह (डीआईएन - 08745789)	अध्यक्ष (30.06.2020 से प्रभावी)
श्री एस. एम. झा (डीआईएन : 08522125)	निदेशक (27.06.2019 से प्रभावी)
श्री आर. विक्रमण (डीआईएन - 07601778)	निदेशक (09.08.2018 से प्रभावी)
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन - 07601778)	निदेशक (10.01.2020 से प्रभावी)
श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)	निदेशक (20.12.2019 से प्रभावी)

16. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अवधि के साथ नीचे दिया जा रहा है :

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक आयोजन स्थल
51वीं	30.05.2020	एमसीएल कार्यालय
52वीं	20.01.2021	एमसीएल कार्यालय
53वीं	30.03.2021	एमसीएल कार्यालय

निदेशको की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोर्ड की संरचना का विवरण :-

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक	
		अवधि में हुई बैठक	अवधि में हुई बैठक
श्री ओ. पी. सिंह (डीआईएन-07627471)	गैर-कार्यकारी	1	1
श्री बी. सिंह (डीआईएन-08745789)	गैर-कार्यकारी	2	2
श्री एस. एम. झा (डीआईएन-08522125)	गैर-कार्यकारी	3	3
श्री आर. विक्रमण (डीआईएन - 07601778)	गैर-कार्यकारी	3	3
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन - 07601778)	गैर-कार्यकारी	3	3
श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)	गैर-कार्यकारी	3	2

<u>निदेशकों का दायित्वपूर्ण विवरण</u>

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि -

1. 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्ती य वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने दिनांक 31.3.2021 को समाप्तच वित्तीउय वर्ष के लिए लेखा को 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में सूचना कंपनी नियमावली 2014 के तहत् अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी। अधिनियम की धारा-136 के तहत कर्मचारियों से संबंधित सूचना को छोड़कर कंपनी के सदस्यों तथा अन्य हकदारों की रिपोर्ट तथा खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, वार्षिक आम

बैठक की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु उपलब्ध विवरणों का निरीक्षण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सदस्यों द्वारा की जाएंगी। यदि कोई सदस्य इसकी जांच करना चाहता है तो वह सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम में लिखें।

बैंकों के नाम एवं पते :

क्रं.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020
2	यूको बैंक	जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020
3	एक्सिस बैंक लिमिटेड	आर.आर.मल्ल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर - 768001
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता बाजार के बगल में, गोल बाजार, संबलपुर-768001
5	एचडीएफ़सी बैंक	टंकापानी रोड, भुवनेश्वर

भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की टिप्पणी

दिनांक 31.03.201 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की टिप्पणी संलग्नित है।

लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत् प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाये जो कि स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी न की जाये। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी ने सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त की है जो संलग्नित है।

वार्षिक रिटर्न का सार

फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न के सार को इसके संलग्न किया गया है।

अभिस्वीकृति : -

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए अध्यओक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल के द्वारा दिए गए अपने बहुमूल्य निर्देशन, सहयोग तथा सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए उनका धन्यकवाद करते हैं।

आपके निदेशकगण लेखा परीक्षकों, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक एवं पदेन सदस्या, लेखा परीक्षा बोर्ड-2, कोलकाता के अधिकारी एवं स्ट्राफ, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय आदेश एवं कंपनी पंजीयक, ओडिशा द्वारा दी गई सेवाओ के लिए उनकी सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (अनुलग्नक-I)
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी (अनुलग्नक-II)
3. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (अनुलग्नक -III)
4. वार्षिक रिटर्न का सार। (अनुलग्नक-IV)

ह/-

तिथि : 25.06.2021
स्थान:संबलपुर

(बी. सिंह)
DIN: 08745789
अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवामें,
सदस्यगण, एमएनएच शक्ति लिमिटेड
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

मत

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (तत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारी मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैं, तथा 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है।

मताधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा वे मामला हैं, जो हमारे वृत्तिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन मामलों को समग्र रूप से हमारी राय बनाने एवं वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इन मामलों में हम अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

अंकेक्षण मानक 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मौलिक लेखापरीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें बोर्ड का रिपोर्ट तथा उसके अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारियों की संपुष्टि नहीं करती है और हम ऐसे आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय उन तथ्यों पर भी, विचार करते हैं जो अन्य जानकारी यथाः वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वे जानकारी जो भौतिक रूप से गलत पाया गया हो।
अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य विरूपण की सामग्री यदि गलत हैं, तो हम उन तथ्यो की रिपोर्ट करते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में संबंधित मामलों के निपटान के लिए कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे, जो वित्तीय विवरणो की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कथन का सही और निष्पक्षता देते हैं। कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ साथ, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बने रखें जो धोकाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नितियों का चयन व लागू करने व बनाए रखे, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती है, जो वित्तीय विवरणों की तैयरी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रुप से यह इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम भी :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकंलन करते है, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यो न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादित करते है और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है जो हमारे राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते है। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है,, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का घोषणा सहित मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जिससे यह संभावना बनती है है कि स्टैंडअलोन वितीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत या सकल रूप से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में हम शासन विधि उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं। हम शासन विधि के लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा यह आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है।

शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदनः

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर हम "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार है:

(i) हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरुरी तथा भरोसेमंद थे।

(ii) हमारी राय में, अब तक के उन बहियों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को कंपनी ने रखा है।

(iii) इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।

(iv) हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

(v) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

(vii) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित, की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं और वर्ष के दौरान कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

(viii) कंपनी अधिनियम,2014 के नियमावली, 11(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारे विचार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निम्न को शामिल किया गया है:

क. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ख. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है एवं कंपनी को दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार की भौतिक हानि का अनुमान नहीं किया है इसलिए इस संबंध में खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए कंपनी को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

कृते, बिनोद के. अग्रवाल एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी संख्या: 320167E
ह./-
(बी. के. अग्रवाल)
साझेदार
M. No. 055209
UDIN: 21055209AAAAAL4347

स्थान: संबलपुर
तिथि: 20/05/2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षको का प्रतिवेदन के लिए अनुलग्नक - 1

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि-

(i) a) यह कंपनी संख्यात्मक ब्यौरा तथा अचल परिसंपति सहित तथ्यों को दर्शाते हुए वांछित रिकॉर्ड का रख-रखाव करती है।

b) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों को उपलब्ध जानकारी के अनुसार भौतिक सत्यापन किया गया है और हमारी राय में इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई है। ऐसे भौतिक सत्यापन कंपनी के स्वरूप और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है।

c) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपति नहीं है और इसलिए कोई भी टाइटिल डीड नहीं है।

(ii) जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास वर्ष के दौरान कल-पुर्जे और कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) हमें प्राप्त जानकारी और विवरण के अनुसार, अभिलेखों की जांच के आधार पर, हमने देखा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत कंपनी के पास पार्टियों के लिए कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

(v) कंपनी ने अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा धारा 73 से 76 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय / सेवा शुरू नहीं की है इसलिए कंपनी पर आदेश के 3 (Vi) का प्रावधान पर लागू नहीं है।

(vii) (a) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार निर्विवाद वैधानिक देय साथ ही भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, उपकर व अन्य वैधानिक देय नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा किए गए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक देय होने देयता की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक देय बकाया नहीं था।

(b) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2021 को आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रु. लाख में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है
1.	आयकर अधिनियम	आयकर	336.43	2011-12 2012-13 2013-14	सीआईटी(ए), संबलपुर
2.	वित्तीय अधिनियम, 1994	सेवा कर	556.75	2020-21	सीईएसटीएटी, कोलकाता

उपरोक्त के अलावा रू. 257.47 लाख की राशि आयकर के के लिए एवं रू. 20.87 लाख की राशि सेवा कर के लिए जमा की गई है।

(viii) हमारे अभिलेखों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है। इसलिए, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) एवं ऋण के शर्तों के माध्यम से कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3 लागू नहीं है।

(x) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड का हमारें परीक्षण के आधार पर कंपनी ने अधिनियम अनुसूची V के अनुसार पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान किया है ।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।

(xiv) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।

(xv) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने गैर-नकद लेनदेन में निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई. ए. के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कृते, बिनोद के. अग्रवाल एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी संख्या: 320167E
ह./-
(बी. के. अग्रवाल)
साझेदार
M. No. 055209
UDIN: 21055209AAAAAL4347

स्थान: संबलपुर
तिथि: 20/05/2021

वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट।

कंपनी *एमएनएच शक्ति लिमिटेड*

आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर

वित्तीय वर्ष : **2020-21**

क्र.सं.	विशेष	लेखा परीक्षको का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ऋण / ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों की ठीक से गणना की जाती है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन / छूट / बट्टे खाते की ऋण / उधार / ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? उल्लंघन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त नहीं हुई है।

कृते, बिनोद के. अग्रवाल एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी संख्या: 320167E
ह./-
(बी. के. अग्रवाल)
साझेदार
M. No. 055209
UDIN: 21055209AAAAAL4347

स्थान: संबलपुर
तिथि: 20/05/2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षको के प्रतिवेदन के लिए अनुलग्नक - 3

कंपनी अधिनियम,2013("अधिनियम") की धारा 143 के उप-खण्ड 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन(रिपोर्टिंग) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

31 मार्च 2021, कंपनी के रूप में एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारीः

भारतीय चार्टड अकाउंटेन्ट संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना,कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम,2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना,अपनी संपत्ति की सुरक्षा,धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तिय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना । डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं ब्यय किया जा रहा है। (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएः

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित,त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वितीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता हैं।

मत

हमारी राय में,कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च 2021 के अनुसार ऐसे वितीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कृते, बिनोद के. अग्रवाल एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी संख्या: 320167E
ह./-
(बी. के. अग्रवाल)
साझेदार
M. No. 055209
UDIN: 21055209AAAAAL4347

स्थान: संबलपुर
तिथि: 20/05/2021

अनुलग्नक -II

31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेडके वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा25 मई, 2021 को की गई लेखा परीक्षामें ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमएनएच शक्ति लिमिटेडके दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशकलेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21.06.2021

अनुलग्नक – III

फॉर्म संख्या. एम.आर.-3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) एवं कंपनी नियमावली (नियुक्ति एवं कार्मिक पारिश्रमिक) 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
एमएनएच शक्ति लिमिटेड,
आनंद विहार,
डाकघर. जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा –768020
भारत

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड (तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा निगमित प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरिके से किया गया था, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरणों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर हमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया हैं कि कंपनी ने लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं।

1. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके तहत बनाये गए नियम।

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम, निर्दिष्ट वर्गों के लिए काफी हद तक अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाये गए नियम, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(viii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियमन, 1992, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(ix) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) नियमन, 2009; रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(x) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना व कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(xi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) नियमन, 2008, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) नियमन, 1993, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति का बायबैक) नियमन 1998, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

2. हमने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए लागू अन्य प्रणालियों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी के लिए लागू हेड/अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के समूहों की सूची इस प्रकार है :

क. फैक्टरी अधिनियम, 1948,

ख. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;

ग. ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन श्रमिकों, आदि से संबंधित औद्योगिक कानून;

घ. खनन गतिविधियों से संबंधित अधिनियम ;

ङ. कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों या श्रमिकों से संबंधित या तो उसके पेरोल पर या मजदूरी, बोनस, उपदान, भविष्य निधि, ईएसआईसी, क्षतिपूर्ति, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण, आदि से संबंधित अनुबंध के आधार पर श्रम कानून तथा अन्य आकस्मिक कानून;

च. पर्यावरण और संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम ;

छ. अनुबंध, स्टैम्पस, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून ;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था। कार्यसूची और कार्यसूची विषय पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले अग्रिम रूप में भेजे गए थे तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची के विषय पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो तो उन्हें बैठक के हिस्से के रूप में कैप्चर एवं दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और कंपनी के आकार और संचालन के साथ उसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

कृते सुशांत प्रधान एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह/-
सीएस सुशांत प्रधान
सदस्यता सं : 29239
सी.पी. सं : 14238
यूडीआईएन: A029239C000500886

स्थान: संबलपुर
दिनांक : 23.06.2021

इस रिपोर्ट को हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक क'

सेवा में,
सदस्यगण,
एमएनएच शक्ति लिमिटेड,
आनंद विहार,
डाकघर. जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा – 768020
भारत

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ जिनका हमने अनुसरण किया है, हमारे विचार को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों आदि के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सुशांत प्रधान एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह/-
सीएस सुशांत प्रधान
सदस्यता सं : 29239
सी.पी. सं : 14238
यूडीआईएन: A029239C000500886

स्थान: संबलपुर
दिनांक : 23.06.2021

31 मार्च 2021 के अनुसार
तुलनपत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	1.06	1.22
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	-	-
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपतियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6	-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii)ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(च) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
(छ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		1.06	1.22
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	14	6,262.19	6,125.02
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,413.73	2,413.49
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		208.32	204.86
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	278.34	257.47
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		9,162.58	9,000.84
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**9,163.64**	**9,002.06**

तूलन पत्र जारी .....

	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	8,510.00	8,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	558.97	430.74
कुल इक्विटी (क)		9,068.97	8,940.74
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय	19	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	94.55	61.21
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	0.12	0.11
(ग) प्रावधान	21	-	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		94.67	61.32
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		9,163.64	9,002.06

संलग्न टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस.के.बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(ए.के बेहूरा)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एस.एम.झा)
निदेशक/सीईओ
डीआईएन: 08522125

ह/-
(बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08745789

दिनांक : 20.05.2021
स्थान : सम्बलपुर

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

31 मार्च 2021 के अनुसार
लाभ एवं हानि का विवरण

(रु. लाख में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
	प्रचालन से राजस्व			
क	विक्रय (अन्य सकल लेवी)		-	-
ख	अन्य प्रचालन राजस्व (अन्य सकल लेवी)		-	-
(I)	प्रचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
(II)	अन्य आय	25	210.94	315.78
(III)	कुल आय (I+II)		210.94	315.78
(IV)	व्यय			
	खपत सामग्री की लागत		-	-
	निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	29.09	20.34
	ऊर्जा व्यय		-	-
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		-	-
	मरम्मत		-	-
	संविदात्मक व्यय		-	-
	वित्त लागत	32	2.17	1.27
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		0.15	0.32
	प्रावधान		-	-
	बट्टे खाते में डालना		-	-
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
	अन्य व्यय	35	8.16	7.77
	कुल व्यय (IV)		39.58	29.69
(V)	असाधारण मद एवं कर पूर्व पहले लाभ (I-IV)		171.36	286.09
(VI)	असाधारण मद		-	
(VII)	कर पूर्व लाभ (V-VI)		171.36	286.09
(VIII)	कर व्यय	36	43.13	144.87
(IX)	सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)		128.23	141.22
(X)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	
(XI)	बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम में शेयर/सहयोगियों के लाभ/(हानि)		-	
(XIV)	अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		128.23	141.22

लाभ एवं हानि विवरण जारी ....

31 मार्च 2021 के अनुसार
लाभ एवं हानि का विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अन्य व्यापक आय			
क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		128.23	141.22
लाभ के लिए जिम्मेदार :		-	
कंपनी के स्वामित्व		128.23	141.22
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
अन्य व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		128.23	141.22
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		128.23	141.22
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):			
(1) मौलिक		0.15	0.17
(2) मंदित		0.15	0.17
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::			
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):			
(1) मौलिक		0.15	0.17
(2) मंदित		0.15	0.17

संलग्न टिप्पण वितीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस.के.बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(ए.के बेहूरा)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एस.एम.झा)
निदेशक/सीईओ
डीआईएन: 08522125

ह/-
(बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08745789

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

दिनांक : 20.05.2021
स्थान : सम्बलपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(रु. लाख में)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		171.36	286.09
निम्न के लिए समायोजन :			
दीर्घावधि के उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव		-	-
अचल आस्तियों की मूल्यह्रास / हानि		0.15	0.32
बैंक जमा पर ब्याज		(210.94)	(315.78)
वित्तीय गतिविधियों से संबन्धित वित्त लागत		2.17	1.27
छूट का मोचन		-	-
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
स्वीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
बट्टे खाते एवं बनाए गए प्रावधान		-	-
चालू / गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के पूर्व परिचालन लाभ		(37.25)	(28.11)
निम्न के लिए समायोजन :			
व्यापर प्राप्य		-	-
वस्तु-सूची		-	-
गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपतियां			
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपतियाँ, अन्य परिसंपतियाँ		(67.70)	(2,442.06)
चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं		33.35	23.53
संचालन से उत्पन्न नकद		(71.60)	(2,446.64)
भुगतान/वापस किए गए आयकर		-	(54.16)
संचालन गतिविधियों से सकल नकदी प्रवाह	(क)	(71.60)	(2,500.80)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी / अचल परिसंपत्तियों की खरीद में परिवर्तन		0.01	2,410.47
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		210.94	315.78
निवेश गतिविधियों से सकल नकद	(ख)	210.94	2,726.25

नगद प्रवाह विवरण जारी .....

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(रु. लाख में)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
उधार में बदलाव		-	-
ऋणों का पुनर्भुगतान		-	-
वरीयता शेयर पूंजी का मोचन			
वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(2.17)	(1.27)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		-	-
इक्विटी शेयरों संबंधी लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी के पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त कुल नकद	(C)	(2.17)	(1.27)
नकद और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		137.17	224.19
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		6,125.02	5,900.83
वर्ष के अंत तक नकद और नकद समकक्ष राशि		6,262.19	6,125.02

(कोष्ठ के सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

टिप्पणी :

1. उक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।.
3. पिछले वर्ष के आंकड़े दिनांक 31.03.19 को 2018-19 के पूरे साल के लिए ऑडिट किया गया हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एस.के.बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(ए.के बेहूरा)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एस.एम.झा)
निदेशक/सीईओ
डीआईएन: 08522125

ह/-
(बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08745789

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2019 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2020 तक शेष	दिनांक 01.04.2020 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2021 तक शेष
10 रु. दर से प्रत्येक 8,51,000,00 इक्विटी शेयर	8,510.00	-	8,510.00	8,510.00	-	8,510.00

ख. अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
दिनांक 01.04.2019 तक शेष	-	-	-	289.52	-	289.52
अन्य समायोजन	-	-	-	-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान हुई त्रुटि	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2019 तक पुन: वर्णित	-	-	-	289.52	-	289.52
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	141.22	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
सामान्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2020 तक शेष	-	-	-	430.74	-	430.74
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	128.23	-	128.23
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2021 तक शेष	-	-	-	558.97	-	558.97

टिप्पणी :1 कॉरपोरेट जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा तालाबीरा –II और III कोल ब्लॉक का निर्णय किया गया, जिसके तहत 20 एमटीवाई की अंतिम क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जा सके। इसके लिए एमसीएल, एनएलसी और हिंडाल्को के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात के इक्विटी होल्डिंग के साथ एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया, जिसे दिनांक 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एवं पंजीकृत किया गया।

टिप्पणी : 2 महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए कंपनी ने अधिनियम 2013 की धारा 133, सपठित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के पैरा 7 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली -2006 (पूर्व भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपना वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार कंपनी का पहला वित्तीय विवरण है।

वित्तीय विवरण, उचित मूल्य पर प्रमाणित कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के अतिरिक्त ऐतिहासिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किया गया है। (पैरा 2.15 में उल्लेखित वित्तीय मामलों पर लेखा नीति का अवलोकन करें।)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए में दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगिया -

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी उस तारीख से पूरी तरह से समेकित हैं जिस तारीख पर नियंत्रण समूह को हस्तांतरित किया जाता है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है। कंपनी संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक समूहों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। समूह कंपनियों के बीच अंतरकंपनी लेनदेन, शेष तथा लेनदेन पर अवास्तविक लाभ समाप्त हो जाते हैं।

जब तक लेन-देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण नहीं मिलता तब तक अवास्तविक नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं। समूह का एक सदस्य आम तौर पर समान परिस्थितियों में लेनदेन और घटनाओं के लिए समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण विचलन के मामले में, समूहों के लेखांकन नीतियों के अनुरूप होना सुनिश्चित करने हेतु समूह के सदस्य के वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं तुलन-पत्र को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ:

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान का अधिकार रखती है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात, लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा किया जाता है, जब तक कि बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ऐसे मामले में इसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

समूह उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अपनी सहयोगियों में सकल निवेश करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वे व्यवस्थाएँ हैं जहाँ समूह एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण रखता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण के संविदा पर सहमति की वह व्यवस्था है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में नियंत्रण साझा करने के लिए दलों की एकमत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं से संबंधित देनदारियों के लिए संपत्ति और दायित्वों के अधिकार हैं।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों और किसी भी संयुक्त रूप से रखी गई संपत्ति या देनदारियों, राजस्व और खर्चों के अपने हिस्से के अपने प्रत्यक्ष अधिकार को पहचानता है। इन्हें उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.5 संयुक्त उद्यम-:

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिनमें समूह को व्यवस्थाओं की सकल संपत्ति का अधिकार प्राप्त है।

समेकित तुलन-पत्र में लागत को उचित मूल्य पर चिह्नित किए जाने के पश्चात, संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारंभ में लागत पर मान्यता के पश्चात, लेखांकन पद्धति के उपयोग हेतु संयुक्त उद्यम में निवेश को ध्यान में लाया जाता हैं, बजाय निवेश या उसके किसी हिस्से की बिक्री भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार की जाती है।

समूह उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अपने संयुक्त उद्यम में सकल निवेश को कम करती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरुआती तौर पर लागत पर चिह्नित किया गया है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को चिह्नित करने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त होने वाले लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

इन इकाइयों में समूह के हितों के लिए समूह और उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक लाभांश निकले गए हैं। जब तक लेन-देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्राप्त नहीं होता तब तक अवास्तविक नुकसान भी निकाल दिये जाते हैं। । समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.7 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह गैर-नियंत्रित हितों के साथ लेनदेन का व्यवहार करता है, जिसके परिणामस्वरूप समूह के इक्विटी स्वामित्वों के साथ लेनदेन के रूप में नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक समूहों में दर्शाने हेतु समायोजित करते हैं। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव की हानि के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या इक्विटी खाता समाप्त हो जाते हैं तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोग, संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशियों को लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम हो जाती है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात हिस्सा हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

(क) यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है;

(ख) यह मुख्य तौर पर परिसंपत्ति को व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है;

(ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति की पहचान की जाए।

(घ) परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) के रुप में तब तक रहती है जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब वर्गीकृत माना जाता है जब :

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है;

(ख) यह मुख्य तौर पर देयताओं को व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाया देयता का निपटान किया जाना है अथवा।

(घ) इनके पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान के फलस्वरूप वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय लेखांकन मानक 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 के राजस्व मान्यता का अतिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी के ग्राहक को वस्तु एवं सेवायें हस्तांतरित करने हेतु विनिमय के लिए हकदार होने की उम्मीद है। अंगीकरण के पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुये कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल या "कंपनी") ने भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 को अपने ग्राहकों के साथ संविदा के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। मानक संविदा प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और संविदा को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं पर नियंत्रण एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवाएँ हस्तांतरित करने के लिए कंपनी विनिमय के लिए अधिकार रखती है। कंपनी ने सामन्यातः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह माल या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले उसे नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :

चरण 1: संविदा की पहचानः

कंपनी ग्राहक के साथ संविदा का अधिकार तभी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता हैः

क) संविदा के पक्षकारों ने संविदा को मंजूरी दे दी है और वे अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
ख) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है।
ग) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान के शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) संविदा में वाणिज्यिक विषय (कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि संविदा के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है) है और

ङ) यह संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह संविदा में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है तो कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या कंपनी द्वारा उन्हें प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

संविदा का संयोजन

यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है तो कंपनी एक ही ग्राहक द्वारा (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) एक ही समय में दो या दो से अधिक संविदाओं को समेकित करती है और संविदा एकल संविदा के रूप में मान्य होगा, :

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ संविदा पर पैकेज के रूप में बातचीत की जा सकती है;

ख) एक संविदा में भुगतान की जाने वाली विचार की राशि दूसरे संविदा की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

ग) संविदा में तय किए गए माल या सेवायें (या प्रत्येक संविदा में तय किए गए कुछ माल या सेवायें) एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हैं।

संविदा संशोधन

यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं, तो कंपनी एक अलग संविदा के रूप में संविदा संशोधन के लिए उत्तरदायी है :

तय किए गए माल या सेवाओं से अलग होने के कारण संविदा की गुंजाइश बढ़ जाती है और संविदा की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है, यह कंपनी के स्टैंडअलोन केअतिरिक्त संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त कीमत वाले माल या सेवाओं की कीमतों और उस मूल्य के लिए किसी भी उचित निर्णय को दर्शाता है।

चरण - 2 : निष्पादन दायित्वों की पहचान

संविदा के प्रारम्भ में, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए माल या सेवाओं का आकलन करती है और कार्य निष्पादन दायित्व रूप में उसकी पहचान करने हेतु प्रत्येक ग्राहक से वादा करती है :

क) माल या सेवाएं (माल या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है ; या

ख) अलग-अलग माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए उनके स्थानांतरण का तरीका भी समान होता है।

चरण 3 : लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों और उसके प्रचलित व्यावसायिक कार्यों को ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक संविदा में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है।

कुछ संविदाओं में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, संविदा के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में कुछ या सभी अनुमानित विचार की मात्रा में केवल उस सीमा तक शामिल होती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितताओं को बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए निर्धारित राशि को समायोजित नहीं करती यदि यह संविदा के प्रारम्भ के समय अपेक्षा करती है कि, कि जब वह किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान करता है तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम होंगी।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है और यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार नहीं समझता है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल मूल्य नहीं))। प्रतिदाय दायित्व (और लेनदेन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतित किया जाता है।

संविदा के प्रारंभ होने के पश्चात, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध माल या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4 : लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग माल या सेवाएं) के लिए एक राशि में लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जिसमें उस विचार को दर्शाया गया है जिससे कंपनी को उम्मीद है कि वह ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित हेतु कंपनी संविदा में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग माल या सेवाओं के संविदा के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। जब (या जैसे) ग्राहक वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो
वस्तु या सेवा उसे हस्तांतरित की जाती है।

यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है तो कंपनी समय पर माल या सेवाएं का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है,:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कार्यनिष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है एवं उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी कार्य-निष्पादन करती है।

ख) कंपनी का कार्य-निष्पादन संपत्ति को बनाता या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उस पर संपति के रूप में नियंत्रित करता है।

ग) कंपनी का कार्य-निष्पादन कंपनी वैकल्पिक उपयोग से एक परिसंपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास अब तक के प्रदर्शन के लिए के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने के लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आंकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती

है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करती है।

कंपनी संविदा के तहत वादा किए गए शेष सामानों या सेवाओं के संबंधित तारीख को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके लागू करती है।

कंपनी संविदा के अंतर्गत तय किए गए शेष माल या सेवाओं को संबंधित तारीख को ग्राहक को स्थानांतरित की गई माल या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति को लागू करती है। आउटपुट पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने हेतु प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

यदि कंपनी निष्पादन बाध्यता के पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है तभी कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरी हो जाती है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होते हैं।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरी नहीं होती, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध माल या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और माल या सेवा का स्वामित्व होता हैं;
ङ) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब संविदा के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी के कार्य निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर संविदा को संविदा संपत्ति या संविदा देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्तियां :

एक संविदा संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के विनिमय में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी माल या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित निर्णय के लिए संविदा संपत्ति को मान्यता प्राप्त होता है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

प्राप्य विचार की राशि के लिए कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो शर्तरहित है। (केवल भुगतान से पहले समय की आवश्यकता है)

संविदा प्राप्य :

संविदा देयता ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (या विचार की राशि देय है) हैं। यदि कंपनी के ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पूर्व ग्राहक विचार करते हैं, और जब भुगतान किया जाता है या देय (जो भी पहले हो) होता है तब संविदा देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी संविदा के तहत कार्य-निष्पादन करती है तब संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार मिलने पर निवेश से प्राप्त लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावें

जब अहसास की निश्चितता होती है और उसे मज़बूती से मापा जा सकता है तब अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर ब्याज सहित) के लिए जिम्मेदार हैं।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित रूप से अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरणों के व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

संपत्ति से संबंधित सरकारीं अनुदान को स्थगित आय के रूप में तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

आय (परिसंपत्तियों के अलावा संबंधित अनुदान) से संबंधित अनुदान को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ व हानि के हिस्से के रुप में प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत के साथ इकाई के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाता है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

2.6 पट्टे

एक संविदा एक पट्टा को शामिल करता है, यदि संविदा विचार विनिमय में समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

शुरुआत में, पट्टेदार एक संपत्ति का सही उपयोग करेगा और एक पट्टा देयता के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता उस तिथि पर भुगतान नहीं किए गए पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर होगी।

इसके बाद, लागत मॉडल का उपयोग करके आस्तियों के सही उपयोग को मापा जाता है जबकि, पट्टा देयता पर लिए गए ब्याज को प्रदर्शित करने के लिए पट्टा देयता की वहन राशि को बढ़ाकर मापा जाता है, जो पट्टे के भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि को कम करता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि को पुनः मापा जाता है।

2.5.2 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में है।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और आकस्मिक पुरस्कारों को परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

प्रचालन पट्टे-
जब तक अन्य प्रणालीगत आधार पर पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न हो, अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम होता है परिचालन पट्टों से पट्टे भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय पट्टे -
एक वित्त पट्टे के तहत आयोजित परिसंपातियों को शुरू में तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में सकल निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, वित्त आय को एक पैटर्न के आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में पट्टेदार के सकल निवेश पर निरंतर आवधिक वापसी दर को दर्शाती है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

जब विनिमय व्यावसायिक हो तब इन उद्देश्यों के लिए विक्रय लेनदेन में अन्य गैर-चालू आस्तियों के लिए गैर-चालू आस्तियों का विनिमय शामिल है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई से या संकेत मिलता है कि बिक्री के लिए महत्वपूर्व बदलाव या विक्रय का निर्णय वापस लेने की संभावना नहीं है। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इस उद्देश्य के लिए बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू संपत्ति के लिए गैर चालू संपत्ति के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए मानदंड बनाए जाते हैं जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए है जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम होगा, जब :

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- एक क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है,
- मूल्य पर आस्तियों के (निष्पादन समूह) विक्रय हेतु सटीक कदम उठाए जा रहे हो।
- विक्रय को वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर लिया गया हो और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) :-

जमीन की खरीदी मूल लागत (हिस्टॉरिकल कॉस्ट) पर की जाती है। इस मूल लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजें आदि शामिल हैं।

मान्यता के पश्चात अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र तथा के एक मद को लागत मॉडेल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं संचित क्षतिकर नुक़सानों को घटकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी मद की लागत में निम्नलिखित शामिल है -

क. व्यापार में मिले छूट में कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. प्रबंधन द्वारा स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित व्यय तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति,संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक हिस्से में लागत के साथ कुल लागत के अनुसार महत्वपूर्ण है, जिसका ह्रास साफ साफ दर्शाया जाएगा। हालांकि, मूल्यह्रास चार्ज निर्धारित करने में पीपीई की एक ही उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि की एक मद का महत्वपूर्ण हिस्से को एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित दिन प्रतिदिन की कार्य लागत को 'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में उस अवधि में वर्णित किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लागत को मदों की वहन राशि में चिह्नित किया जाता है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्राप्त होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए उन भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित अमान्यता नीति के अनुसार चिह्नित जाता है।

वृहद स्तर पर निरीक्षण के पश्चात लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त होती है, यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। विगत निरीक्षण (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) की लागत के शेष वहन राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है।

जब भविष्य में आस्तियों के निरंतर उपयोग से आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती तो संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक मद के निपटान को अस्वीकार कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की ऐसे अस्वीकार पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड लैंड को छोड़कर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि (पट्टेकृत भूमि सहित)	: परियोजना का जीवन या पट्टा जो भी कम हो
भवन	: 3-60 वर्ष
रोड	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं जैसे कि, कोयला ट्यूब, घुमावदार रस्सियाँ, ढलान रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर, परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएएआर) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि शामिल हैं, जो परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित है; और लीज़होल्ड भूमि के मामले में, पट्टा अवधि या परियोजना के शेष जीवन इनमें से जो भी पहले हो, के आधार पर परिशोधित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या समूह के अद्यतन के लिए आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इनेवलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण

कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें इसके सभी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण जिसमें इसके वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.9 <u>खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ</u> –

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए समूह के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। समूह खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं

लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। समूह सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण
- बाजार तथा वित्त अध्ययन का आयोजन ;

इसमें कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पतियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 <u>विकास व्यय</u>

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है, धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

(क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

(ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो, जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की गई) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के लिये मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति परिशोधन नहीं है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की व्युत्पति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और इसे लाभ-हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त

राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

2.14 <u>निवेश संपत्ति</u>

परिसंपत्ति (भूमि या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 <u>वित्तीय साधन</u>

वित्तीय साधन एक संविदा है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीददारी या बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपत्तियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधन। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं :

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज (एसपीपीआई) की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। संशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई के रूप में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को वर्गीकृत किया जा सकता है।

क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया और

ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्राप्त है। वैसे समूह ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक शेष श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नामित करने का चयन भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा आकलन कम या समाप्त हो जाता है (जिसे अकाउंटिंग मिसमेच' कहा जाता है।) कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ आकलन किया जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि लेन-देन की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य का आकलन किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत अन्य सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि का उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के अनुवर्ती परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक स्थायी चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को इंस्ट्रूमेंट्स -दर -इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक और स्थायी स्वीकृति पर बना है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के अनुसार एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में दर्शाया गया हैं। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एवं एल तक की मात्रा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी में संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को पी एवं एल में दर्शाये गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय आस्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय आस्ति के एक भाग या समान वित्तीय आस्ति के समूह का एक भाग) की स्वीकृति को प्राथमिक स्तर पर तब रद्द किया गया (अर्थात तुलन पत्र से हटाया गया), जब:

- आस्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हो या
- जब कंपनी ने आस्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या पास-थ्रू व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने आस्ति के मूलत: सभी जोखिमों और पुरस्कारों का न तो हस्तांतरण किया है और न ही अपने पास रखा है और न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है, तो कंपनी हस्तांतरित आस्तियों को अपनी सतत भागीदारी स्वीकार करती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी स्वीकार करती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को कंपनी के द्वारा बनाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन किया जाता है । सतत हस्तक्षेप, जो आस्ति पर गारंटी लेता हो, आस्ति की निम्न मूल वहन राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि से आकलन किया जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की पहचान और आकलन के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को लागू करती है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणतः ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख) वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग) लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ) लेन-देन से उत्पन्न नकद या किसी अन्य वित्तीय आस्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्य या किसी भी संविदागत अधिकार भारतीय लेखांकन मानक 11 और व 18 के अंतर्गत होते हैं।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया

- प्राप्त कारोबार या संविदा राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकृत दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, यह प्रारंभिक स्वीकृति से ही रिपोर्टिंग प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर लाइफ टाइम ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को स्वीकृति देता है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ

2.15.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य देय और बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में तथा ऋण और उधार एवं देय के मामलों में प्रत्यक्ष स्रोतजन्य अंतरण लागत में दर्शाई जाती है ।

2.15.3.2 आगामी माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है। :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट

को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है जैसा कि स्वीकृति की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में स्वीकृति प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में दर्शाया गया है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी परियोजना निवारण करके प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयतायां हैं को पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा। वे वित्तीय देयताएं जो ऋण साधन हैं जिनका पुनःवर्गीकरण सिर्फ तभी

किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की आस्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन परियोजना निवारण करके आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और जो बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। अगर कंपनी वित्तीय आस्ति को पुनः पेश है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुन:वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुन: वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से दर्शाये गए संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और शुद्ध राशि की सूचना समेकित तुलनपत्र में दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने के साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16. उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर (पुनर्प्राप्त) की राशि होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देयताओं को आमतौर पर दर्शाया जाता है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर दर्शाया गया है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक नहीं दर्शाया जाएगा, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक स्वीकृति (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ

हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में स्वीकृति प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए परिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय (कोयला परियोजना भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता

है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान की है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आंकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयतायां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

आर्थिक क्षेत्र में भारतीय रुपए (आईएनआर) के प्रमुख मुद्रा होने के कारण समूह ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

समूह ने लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रचलित विनिमय दरों पर बदली जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन :

खुली खदानों के मामले में, कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान से बने खदान सामग्री ("ओवरबर्डन") को कोयले की पहुंच और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। इस कचरे को हटाने की गतिविधि को स्ट्रिपिंग' कहा जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खानों की सुरक्षा (जैसा कि तकनीकी रूप से सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमान लगाया गया है और उसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया गया है) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है। :

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

2.21 वस्तु –सूची

2.21.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपरकर भी शामिल है।) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्टस की सूची में कोयला खदानों / उप-भंडार/ डीलिंग कैप/ उपभोक्ता केन्द्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जाएगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईटों, रेतों, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का आउटफ़्लो होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएं यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ में विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्धृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है :

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है। :

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :
I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।
Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
Iv. मितव्ययी, तथा
V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।
क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी ऊर्जा क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।
लेखांकन के आकस्मिक आधार का उपयोग करके गोइंग कनसर्न के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2.24.1.2 मेटेरियलिटी

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं पर ही लागू होता है।प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी रुप में पहले की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में यदि पाई गई त्रुटियों/चूक कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1% से अधिक नहीं है तो इन्हें अपरिवर्तित और समायोजित किया जा सकता है।

2.24.1.3 प्रचालन पट्टे

कंपनी ने पट्टे संविदा में प्रवेश किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर जैसे कि पट्टा अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा और परिसंपत्ति का उचित मूल्य का गठन नहीं करने का निर्धारण किया है। यह परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए इन संपत्तियों और स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखता है।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि तब होती है जब किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो कि उचित मूल्य से अधिक निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से नकदी उत्पन्न करने वाली भिन्न इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कंपनी अभी तक या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है वह सीजीयू के परीक्षण के परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ

मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा और संबंधित नोटों में आगे बताया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना तथा डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु छूट दरों के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं, साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके परियोजना / खदान के जीवन पर विचार करते हुए प्रावधान का आंकलन करती है।

- अनुमानित लागत कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार प्रति हेक्टर होगी।

2.25 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर :

क.	सीजीयू	नकद उत्पाद इकाई
ख.	डीसीएफ़	रियायती नकद प्रवाह
ग.	एफ़वीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ.	एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ड.	जीएएपी	समान्यतः स्वीकृत मूलधन
च.	भा.ले.मा.	भारतीय लेखा मानक
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज.	पी एंड एल	लाभ और हानि
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज भुगतान

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी-3: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे और	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट है)	कुल
वहन राशि:																
01.04.2019 के अनुसार	2,410.47	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,416.27
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	(2,410.47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,410.47)
31 मार्च,2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
01.04.2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	4.27	-	-	-	-		-	4.27
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-		0.32	-	-	-	-	-	-	0.32
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	4.59	-	-	-	-	-	-	4.59
01 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	4.59	-	-	-	-	-	-	4.59
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15		-		-	-	-	0.15
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	4.74	-	-	-	-	-	-	4.74
निवल वहन राशि																
31 मार्च,2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	-	-	-	-	-	-	1.06
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21	-	-	-	-	-	-	1.21

टिप्पणी

1-कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया। हालांकि, संपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, इन संपत्तियों पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास किया गया है जो परिसंपत्ति के गैर-पृथक वर्ग के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार लागू होता है।

2. चालू वित्त वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हानि जिसकी कीमत शून्य है राशि लाभ और हानि के वक्तव्य में प्रभारित है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी-4: पूँजी वैप

(रु. लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य संरचना / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशिः							
01.04.2019 के अनुसार	-	-	-	-		-	-
योग	-	-	-	-		-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-		-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-		-	-
31.03.2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
प्रावधान और हानि							-
01.04.2019 के अनुसार	-	-	-	-		-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-			-
हानी	-	-	-	-		-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-		-	-
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-	-		-	-
01.04.2020 के अनुसार	-	-	-	-		-	-
योग	-	-	-	-		-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-		-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-		-	-
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-	-		-	-
नियल वहन राशि							-
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2019 के अनुसार	-
योग	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-
01.04.2020 के अनुसार	-
योग	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-
प्रवाधान और हानि	
01.04.2019 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-
01.04.2020 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	
निवल वहन राशि	
31मार्च 2021 के अनुसार	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2019 के अनुसार	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2020 के अनुसार	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
01.04.2019 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2020 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी - 7 : निवेश

(रु. लाख में)

गैर चालू निवेश

	शेयर /इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	के अनुसार	
			31.03.2021	31.03.2020
शेयरों में निवेश अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)	-	-	-	-
कुल (ख)	-	-	-	-
सकल योग : (क+ख)	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-

निवेश

चालू

(लाख रू. में)

		इकायों की संख्या	एनएवी (रु. में)	के अनुसार	
				31.03.2021	31.03.2020
म्यूचुअल फ़ंड निवेश	-	-	-	-	-
कुल :	-	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
बैंक जमा	-	-
साइट पुनर्स्थापना हेतु जमा एवं प्राप्य :		
खान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	-
अन्य जमा (खान बंदी समवर्ती व्यय)	-	-
खान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य	-	-
	-	-
अन्य जमा एवं प्राप्य	-	-
घटाव : संदिग्ध जमा एवं प्राप्य के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-
चालू		
Dसाइट पुनर्स्थापना हेतु जमा तथा प्राप्य :		
खान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	-
अन्य जमा (खान बंदी समवर्ती व्यय)	-	-
खान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य	-	-
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित ब्याज	0.24	-
अन्य प्राप्य तथा दावें	2,413.49	2,413.49
घटाव : संदिग्ध दावे के लिए भत्ता	-	-
कुल	2,413.73	2,413.49

टिप्पणी:
बैंक जमा में 12 महीने की अवधि से अधिक प्रारम्भिक परिपक्वता के बैंक के साथ जमा शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु जमा	-	-
	-	-
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपातियाँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	**31.03.2020**
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ग) सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	278.34	257.47
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	278.34	257.47
(ङ) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
घटाव:प्रावधान	-	-
कुल	**278.34**	**257.47**

टिप्पणी:

1 डिपॉजिट- अन्य का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के जमा किए गए ₹257.47 लाख आयकर से है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी -12 : वस्तु सूची

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
(क) कोयले का स्टॉक	-	-
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक (कुल)	-	-
(ख) भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
जोड़ : मार्गस्थ सामान	-	-
भंडार और पुर्जों का कुल स्टॉक (लागत पर)	-	-
(ग) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी : 13 : व्यापार से प्राप्य

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी : 14 : नगद एवं नगद के समतुल्य

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
बैंक के साथ शेष		
-जमा खातों में	-	-
- चालू खाते में	-	-
(क) ब्याज सहित (सीएलटीडी खाते आदि)	6,255.78	6,122.09
(ख) ब्याज-रहित	6.41	2.93
- नकद क्रेडिट खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
उपलब्ध चैक, ड्राफ्ट एवं मोहर	-	-
उपलब्ध नकद	-	-
उपलब्ध भारत के बाहर नकद	-	-
अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समकक्ष	6,262.19	6,125.02
बैंक ओवरड्राफ्ट		
कुल नकद और नकद समकक्ष (कुल बैंक ओवरड्राफ्ट)		

नोट - 15 : अन्य बैंक शेष

(लाख रु. में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
बैंकों के साथ शेष		
- जमा लेखा		
- जमा लेखा (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
प्राधिकृत प्रत्येक रु. 10/- के 100000000 इक्विटी शेयर	10000.00	10000.00
	10,000.00	**10,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त प्रत्येक रु.10/- के 85100000 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से नकद में भुगतान किया गया	8510.00	8510.00
	8,510.00	**8,510.00**

1 प्रत्येक शेयरधारक द्वारा 5% से अधिक शेयर रखने वाली कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	आयोजित शेयरों की संख्या (प्रत्येक रु. 10 का अंकित मूल्य)	शेयरों का प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	59570000	70
हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	12765000	15
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12765000	15

2 अवधि के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया या खरीदा है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व *				
दिनांक 01.04.2019 तक शेष	-	-	-	289.52		289.52
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि से पहले समायोजन	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2019 तक पुन: वर्णित शेष	-	-	-	289.52	-	289.52
अवधि के दौरान / प्रतिधारित आय से अंतरण जोड़	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	141.22	-	141.22
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (सकल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में/के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कोरपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2020 को बकाया के अनुसार	-	-	-	430.74	-	430.74
अवधि के दौरान / प्रतिधारित आय से अंतरण जोड़	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	128.23	-	128.23
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (सकल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में/के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कोरपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2021 को बकाया	-	-	-	558.97	-	558.97

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधार

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
अन्य बैंक	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर ऋण प्रतिदेय		
-बैंक से	-	-
- अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी -19: व्यापार देनदारियां

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए व्यापार देनदारियाँ	-	-
व्यापार के लिए अन्य देनदारियाँ		
-भंडार और पुर्जों	-	-
-ऊर्जा एवं इंधन	-	-
- मजदूरी, वेतन और भते के लिए देयता	-	-
-अन्य व्यय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि और ब्याज की अवधि, यदि कोई हो

अवधि	31.03.2021	31.03.2020
15 दिनों के अंदर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के अंदर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के अंदर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
कुल एमएसएमई लेनदार		

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	31-03-2021 तक	31-03-2020 तक
मूलधन और ब्याज की राशि बकाया नहीं है लेकिन अवधि समाप्त होने तक नहीं।	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 की धारा -16 के संदर्भ में अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है।)	-	-
अवधि समाप्त होने तक अर्जित ब्याज और शेष अवैतनिक।	-	-
आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज, ऐसी तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायितायें

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	**31.03.2020**
गैर-चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू		
चालू खाते		
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	83.39	56.07
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अदत्त लाभांश	0.70	0.70
प्रतिभूति जमा	1.01	1.01
बयाना राशि	-	-
पूंजीगत व्यय के लिए देय	6.00	2.40
अन्य	3.46	1.03
कुल	**94.55**	**61.21**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी-21: प्रावधान

(रु. लाख में)

	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
-उपदान	-	-
- अवकाश नकदीकरण	-	-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
साइट पुनर्स्थापना /खदान बंदी	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
- उपदान	-	-
- अवकाश नकदीकरण	-	-
- अनुग्रह राशि	-	-
- कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
- एनसीडबल्यूए-X प्रावधान	-	-
- कार्यकारी वेतन संशोधन		
भूमि सुधार /साइट पुनर्स्थापना /खदान बंदी	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-22: अन्य गैर चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-23: अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
सांविधिक बकाया राशि: :	0.12	0.11
	0.12	0.11
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	**0.12**	**0.11**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी-25 : अन्य आय

(रु. लाख में)

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
बैंक के साथ जमा	210.94	315.78
निवेश	-	-
ऋण	-	-
समूह के भीतर निधि	-	-
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-
अन्य गैर-प्रचालन आय		
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
विनिमय दर में भिन्नता	-	-
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रावधान वापस लिखें	-	-
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	-	-
विविध आय	-	-
कुल	**210.94**	**315.78**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि।	28.81	19.89
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के लिए प्रावधान - (एनसीडबल्यूए) - X	-	-
कार्यकारी वेतन संशोधन - प्रावधान*	-	-
एक्स-ग्रेटिया	-	-
कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
वीआरएस	-	-
कामगार क्षतिपूर्ति	-	-
मौजूदा कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	0.28	0.45
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	-	-
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	-	-
खेल और मनोरंजन	-	-
कैंटीन और क्रेच	-	-
ऊर्जा - टाउनशिप	-	-
बस, एम्बुलेंस आदि का किराया	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
कुल	29.09	20.34

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(रु. लाख में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
उधार	-	-
छूट का मोचन (साइट पुनर्स्थापना)	-	-
समूह के भीतर निधि	-	-
अन्य	2.17	1.27
कुल	**2.17**	**1.27**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(रु. लाख में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय		
- घरेलू	0.42	1.29
- विदेशी	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और डाक	0.00	0.01
विज्ञापन और प्रचार	-	-
भाड़ा शुल्क	-	-
दान / अभिदान	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
कार किराया	0.10	0.32
विधिक व्यय	0.01	0.75
बैंक प्रभार	0.01	0.03
गेस्ट हाउस व्यय	-	-
परामर्श प्रभार	2.67	0.83
बिक्री पर नुकसान/रद्द करना /परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण	-	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय	-	-
- लेखा - परिक्षण फीस	1.00	0.84
- कर संबंधी मामलों पर	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-
- व्यय की प्रतिपूर्ति ।	0.50	0.42
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	-	-
ब्याज और जुर्माना	-	-
अन्य ब्याज	-	-
किराया	2.40	2.40
दरें एवं कर	-	-
मुद्रण और स्टेशनरी	0.85	0.64
पट्टा किराया	-	-
बचाव / सुरक्षा व्यय	-	-
भूमि / फसल का मुआवजा	-	-
आर एंड डी व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
विविध व्यय	0.20	0.24
कुल	**8.16**	**7.77**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर - व्यय

(रु. लाख में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	43.13	144.87
	-	-
आस्थगित कर	-	-
	-	-
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
	-	-
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	**43.13**	**144.87**

एमएनएच शक्ति लिमिटेड
टिप्पणी – 38: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 उचित मूल्य माप

क)वर्गवार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31.03.2021		31.03.2020	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	2413.73	0.00	2413.49
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
नगद एवं नगद समतुल्य	0.00	6262.19	0.00	6125.02
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं				
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय *	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	0.00	1.71	0.00	1.71
अन्य देयताएं *	0.00	92.84	0.00	59.50

(ख) उचित मूल्य अनुक्रम
वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फ़ंड/आई.सी.डी.	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	2413.73	0.00	2413.49
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
नगद एवं नगद समतुल्य	0.00	6262.19	0.00	6125.02
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं				
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	0.00	1.71	0.00	1.71
अन्य देयताएं	0.00	92.84	0.00	59.50

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :
स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है इसमें म्यूअचल फंड शामिल है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग
मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के संबंध में बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एन.ए.वी.) का उपयोग शामिल हैं।
(घ) महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप
वर्तमान में किसी भी अप्रभावित उल्लेखनीय निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।
ङ) परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का उचित मूल्य
व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके अल्पावधि के कारण उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वितीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। वित्त प्रावधानों को छोड़कर कंपनी का प्रदर्शन तथा करार के लिये वांछित राशि सुरक्षा जमा के साथ समाहित कर दिया जाता है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार सुरक्षा जमा की लेनदेन की लागत को प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वितीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2 वितीय जोखिम प्रबंधन

वितीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियाँ

कंपनी के वितीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वितीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वितीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वितीय परिसंपतियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है ,जो परस्पर वितीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वितीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वितीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वितीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वितीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वितीय परिसंपतियां	काल प्रभाव विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उपम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां।
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	वार्षिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम -विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वितीय परिसंपतियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उपम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल जोखिम प्रबंधन हेतु लिखित रूप में सिद्धांत प्रदान करता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वृहद -आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान : कंपनी संदेहपूर्ण परिसंपति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है। (सरलीकृत दृष्टिकोण) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि :-

(₹ लाख में)

दिनांक 31.03.2021 तक

विश्लेषण	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित हानि दर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भता प्रावधान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ लाख में)

दिनांक 31.03.2020 तक

विश्लेषण	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित हानि दर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भता प्रावधान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

हानि भता प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

दिनांक 01.04.2020 को हानि भता	0.00
हानि भता में बदलाव	0.00
दिनांक 31.03.2021 को हानि भता	0.00

वितीय परिसंपतियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वितीय संपतियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

नगदी जोखिम
विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित पोषण में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदीकरण की स्थिति (जिसमें निम्नानुसार अविकसित उधार देने की सुविधाएं शामिल है) पर नियंत्रण रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

बाजार जोखिम
क) विदेशी मुद्रा जोखिम
विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है जो किसी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय के संपर्क में है। विदेशी संघालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात करती है एवं जोखिम को नियमित रूप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम
बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम के साथ ही कंपनी की नकदी ब्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करता है। कंपनी की नीति निर्धारित दर पर अपनी अधिकांश जगहों को बनाए रखने की है।

कंपनी सार्वजनिक उपम विभाग (डी.पी.ई.), क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन
सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसारअपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयर पूंजी	8510.00	8510.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

3 कर्मचारी लाभ: मान्यता और माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)
कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन का भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और आवश्यक जमा एमएनएच को हस्तांतरित किया जाता है। ।

4 अपरिचित मदें
क) आकस्मिक देयताएं
।..कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.2020	336.43	0.00	0.00	0.00	कुल
वर्ष के दौरान सम्मिलित	556.75	0.00	0.00	0.00	कुल
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
क. प्रारम्भिक शेष से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख अवधि के दौरान संयोजन से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त	893.18	0.00	0.00	0.00	893.18

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रमांक .	विवरण	दिनांक 31.03.2021 को	दिनांक 31.03.2020 को
1	केन्द्रीय सरकार		
	आयकर	336.43	336.43
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.00	0.00
	केंद्रीय बिक्रय कर	0.00	0.00
	सेवा कर	556.75	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0.00	0.00
	उप योग	893.18	336.43
2	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी		
	रॉयल्टी	0.00	0.00
	पर्यावरण मंजूरी	0.00	0.00
	बिक्रय कर / वैट	0.00	0.00
	प्रविष्टि कर	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	0.00	0.00
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0.00	0.00
	उप -योग	0.00	0.00
4	अन्य: (अगर कोई हो)		
	विविध -भूमि तथा अन्य	0.00	0.00
	कर्मचारी संबंधित और आदि .	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
	कुल योग	893.18	336.43

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम से कंपनी पर कोई सामग्री प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट :

1. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर की मांग को उठाया है और इसे विरोध के तहत जमा किया गया है तथा सीआईटी (अपील), संबलपुर में आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई।

2. नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति पर सेवा कर के गैर-भुगतान के संबंध में आयुक्त, जीएसटी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राउरकेला, द्वारा जारी पत्र के अनुसार रु 2, 78, 32, 500 सेवा कर का डिमांड आदेश और रु. 2, 78, 42, 500 रुपये के जुर्माना दिनांक 13.06.2020 को प्राप्त हुआ और उपरोक्त आदेश के खिलाफ माननीय सीमा, उत्पाद और सेवा कर ,अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता के समक्ष अपील दायर की गई थी ।

II. गारंटी

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख) जारी की गई।

III. साख पत्र

दिनांक 31.03.2021 को बकाया साख पत्र ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख) है।

ख) प्रतिबद्धता

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि पूंजी राशि जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया : ₹ 0.00 लाख (₹0.00 लाख).

अन्य प्रतिबद्धताएं : ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख)

5 अन्य सूचना

क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त की गई अवधि के लिए कर्मचारी लाभ को छोड़कर भारतीय लेखांकन मानक -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूल्यांकन बीमांकित है, जो नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाख में)

प्रावधान	दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन/ समायोजन/ भुगतान	31.03.2021 को अंतिम शेष 31.03.2021
नोट 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: :				
संपत्ति की हानि:	-	-	-	-
नोट 4: - पूंजीगत कार्य में प्रगति				
सी.डब्लू.आई.पी. से संबंधित :	-	-	-	-
नोट 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां :				
प्रावधान और हानि :	-	-	-	-
नोट 8: - ऋण :				
अन्य ऋण :	-	-	-	-
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:				
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	-	-	-	-
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
पूंजीगत अग्रिम	-	-	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-	-	-
नोट 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :				
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवाएं)	-	-	-	-
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-
अन्य अग्रिम और जमा	-	-	-	-
नोट 13:- व्यापार प्राप्य :				
खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान :	-	-	-	-
नोट 21: - गैर-चालू और चालू प्रावधान :				
उपदान	-	-	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-	-	-
अनुग्रह राशि	-	-	-	-
कार्य प्रदर्शन संबंधित भुगतान	-	-	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	-
साइट पुन: स्थापना / खान बंदी	-	-	-	-
खोपिंग गतिविधि समायोजन	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-

ख) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल कार्य में लगी हुई है।

ग) प्रति शेयर आय

क्रमांक.	विवरण	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	₹ 128.23	₹ 141.22
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	85100000	85100000
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा मन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	₹ 0.15	₹ 0.17

घ) संबंधित पक्ष की जानकारी

संबंधित पार्टियों की सूची इस प्रकार है –

श्री वी. सिंह (डीआईएन: 08745789)	अध्यक्ष	01-06-2020
श्री अनिल मलिक (डीआईएन:00170411)	निदेशक	20-12-2019
श्री आर. विक्रमन (डीआईएन: 07601778)	निदेशक	09-08-2018
श्री एस. एम. झा (डीआईएन: 08522125)	निदेशक/सीईओ	27-06-2019
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 08667576)	निदेशक	10-01-2020
श्री ए. के. बेहुरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	10-01-2020
श्री एस. के. बेहेरा	कंपनी सचिव	21-01-2013

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रमांक .	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक तथा कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष की अवधि के	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	20.41	12.40
	चिकित्सीय लाभ	0.00	0.00
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.00	0.00
ii)	रोजगार के बाद के लाभ		
	पी.एफ. और अन्य निधि में योगदान	0.00	0.00
iii)	समाप्ति लाभ	0.00	0.00
	कुल	20.41	12.40

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक .	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	0	0

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया राशि

(₹ लाख में)

क्रमांक .	विवरण	दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2020 तक
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

ङ) आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि वे एक ही शासन के कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता :

(₹ लाख में)

		31.03.2021	31.03.2020
क.	आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
	संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋण के लिए प्रावधान	0	0
	कर्मचारी लाभ	0	0
	अन्य	0	0
	(क) का कुल	0	0
ख.	आस्थगित कर देयता :		
	अचल संपत्ति से संबंधित	0	0
	अन्य	0	0
	(ख) का कुल	0	0
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (क-ख)	0	0

च) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब किया जाता है।

छ) लेखों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन-मूविंग / अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ज) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन के विचार से, अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

झ) चालू देयताएं
जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहाँ अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

ञ) शेष की पुष्टि
शेष की पुष्टि /सामंजस्य नकद और बैंक शेष, निश्चित ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

ट) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति :
कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

ठ) कोविड -19 का प्रभाव
यह क्षेत्र कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रहा है और व्यापार को आसान करने के लिए इसने कई गुना उपायों को लागू किया है। क्षेत्र ने 31 मार्च 2021 तक वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा को वहन करने की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न संभावित प्रभावों पर विचार किया है। यह क्षेत्र भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन पर कड़ी निगरानी रखेगा।

ड) हालिया घोषणाएं : 24 मार्च 2021
को, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची III की डिवीजन I, II और III को संशोधित करता है और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होता है। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करती रही है।

ढ) अन्य मामले : i 24 सितंबर 2014 को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया तथा आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और अवैध करार दिया (तालाबीरा II और III कोयला ब्लॉक, जो 204 कोयला ब्लॉकों का हिस्सा हैं, को भी दी-आवंटित किया गया।
ii. कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने 17 फरवरी 2016 को लिखे गए अपने पत्र के अनुसार इस कोयला ब्लॉक को नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को आवंटित किया है।कंपनी नामांकित प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य में प्रगति और अमूर्त संपत्ति के लिए खर्च की गई राशि के संबंध में नए आवंटियों से मुआवजा पाने की हकदार है। मुआवजा नामित प्राधिकारी द्वारा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा रहा है और इसे कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और रेलवे साइडिंग आदि के लिए 18.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

ण) अन्य -i) पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनर्स्थापित किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर उन्हें फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।.

ii. नोट-1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23, 31 मार्च 2021 के अनुसार तुलनपत्र को तथा 24 से 37 उस तिथि पर समाप्त तिमाही के लिए लाभ हानि के विवरण को दर्शाते हैं। नोट 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों को दर्शाता है।

ह/-
(एस.के.बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(ए.के बेहूरा)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एस.एम.झा)
निदेशक/सीईओ
डीआईएन: 08522125

ह/-
(बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08745789

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

दिनांक : 20.05.2021
स्थान : सम्बलपुर